



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620]

नई दिल्ली, मंगलवार 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 2620]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3305(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
5क	ताप विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा)	जल उपभोग	1. एक बार शीतलन (ओटीसी) के माध्यम से सभी संयंत्र शीतलन टावरों (सीटी) को प्रतिष्ठापित करेंगे और अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम $3.5\text{m}^3/\text{MWh}$ के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को हासिल करेंगे।

			<p>II. सभी विद्यमान सीटी-आधारित संयंत्र $3.5\text{m}^3/\text{MWh}$ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकतम $3.5\text{m}^3/\text{MWh}$ तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को कम करेंगे।</p> <p>III. जनवरी, 2017 के पश्चात् प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए संयंत्र अधिकतम $2.5 \text{ m}^3/\text{MWh}$ तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को पूरा करेंगे और शून्य जल दुर्ब्यय को हासिल करेंगे।</p>
--	--	--	--

(ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
		विवक्त पदार्थ	100 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NO_x)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		1 जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016* तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	50 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	600 mg/Nm^3 (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm^3 (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NO_x)	300 mg/Nm^3
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm^3
		1 जनवरी, 2017** से प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	30 mg/Nm^3
		सल्फर डायोक्साइड (SO_2)	100 mg/Nm^3
		नाइट्रोजन के आक्साइड	100 mg/Nm^3

	(NOx)	
	पारा (Hg)	0.03 mg/Nm ³

* टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर परिसीमाओं को पूरा करेंगी।

** इसके अंतर्गत सभी टीपीपी (इकाईयां) हैं, जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई है और संनिर्माण के अधीन है।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा.का.नि 176(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2009 ; सा.का.नि 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 ; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010 ; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 221(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 354(अ) तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. 424(अ) तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. 446(अ) तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. 152(अ) तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 266(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 277(अ) तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2012 ; सा.का.नि. 176(अ) तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा.का.नि. 535(अ) तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. 771(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2013 ; सा.का.नि. 2(अ) तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. 229(अ) तारीख 28 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 232(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 325(अ) तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. 612(अ) तारीख 25 अगस्त, 2014 और अन्तिम संशोधन सा.का.नि. 789(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2014 किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3305(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -
 - (a) after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
“5A.	Thermal Power Plant (Water consumption limit)	Water consumption	I. All plants with Once Through Cooling (OTC) shall install Cooling Tower (CT) and achieve specific water consumption upto maximum of 3.5m ³ /MWh within a period

			<p>of two years from the date of publication of this notification.</p> <p>II. All existing CT-based plants reduce specific water consumption upto maximum of 3.5m³/MWh within a period of two years from the date of publication of this notification.</p> <p>III. New plants to be installed after 1st January, 2017 shall have to meet specific water consumption upto maximum of 2.5 m³/MWh and achieve zero waste water discharged**;</p>
--	--	--	--

(b) for serial number 25, and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards	
1	2	3	4	
"25.		TPPs (units) installed before 31st December, 2003*		
Thermal Power Plant				
			Particulate Matter	100 mg/Nm ³
			Sulphur Dioxide (SO ₂)	600 mg/Nm ³ (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm ³ (for units having capacity of 500MW and above)
			Oxides of Nitrogen (NO _x)	600 mg/Nm ³
			Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm ³ (for units having capacity of 500MW and above)
TPPs (units) installed after 1 st January,2003, upto 31 st December, 2016*				
			Particulate Matter	50 mg/Nm ³
			Sulphur Dioxide (SO ₂)	600 mg/Nm ³ (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm ³ (for units having capacity of 500MW and above)
			Oxides of Nitrogen (NO _x)	300 mg/Nm ³
			Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm ³
TPPs (units) to be installed from 1 st January, 2017**				
			Particulate Matter	30 mg/Nm ³
			Sulphur Dioxide (SO ₂)	100 mg/Nm ³
			Oxides of Nitrogen (NO _x)	100 mg/Nm ³
			Mercury (Hg)	0.03 mg/Nm ³

*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification.

**Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction”.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

S.O. 433(E), dated 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated 2nd April, 1996; G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 543(E), dated 22nd July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277(E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612,(E), dated the 25th August, 2014 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 789(E), dated 11th November, 2014.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937

No. 590]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/PHALGUNA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

का.आ. 682(अ).—भारत के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 3305(अ) तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लिखित प्रविष्टियों को निम्न पढ़ें:

- पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 2 के नीचे सारणी में स्तम्भ 3 और 4 में “31 दिसंबर, 2003 से पहले संस्थापित टीपीपी (इकाईयां)”
- पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 6 की सारणी के स्तम्भ 4 में “300 mg/Nm³” के स्थान पर “600 mg/Nm³” पढ़ें
- पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 8 की सारणी के स्तम्भ 3 और 4 में “1 जनवरी, 2003” के स्थान पर “1 जनवरी, 2004” पढ़ें

[फा.सं. क्यू.15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th March, 2016

S.O. 682(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in page 4, in the Table, against serial number 25, for “1st January, 2003” substitute “1st January, 2004”.

[F.No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 435]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सा.का.नि. 593 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3337 (अ) के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसकी उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और, राजपत्र की प्रतियां दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं।

और, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पक्षों से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत् रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,-

(क) स्तंभ 4 में क्रम संख्या 5क के सामने, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“III. विनिर्दिष्ट जल उपभोग, तारीख 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् संस्थापित किए गए नए संयंत्र के लिए 3.0 मी³/एमडब्ल्यूएच से अधिकतम नहीं होगा और ये संयंत्र शून्य अपशिष्ट जल बहाव को हासिल करेंगे।”

(ख) क्रम संख्या 5 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
“5ख	तापीय विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा समुद्री जल का प्रयोग)	जल उपभोग	उपरोक्त क्रम सं 5क में स्तंभ 4 में मद। से III समुद्री जल का प्रयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र पर लागू नहीं होगा”;

(ग) क्रम सं 25 में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“टिप्पण : सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन और धूल-कण के लिए सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 6% आक्सीजन के लिए संशोधित किया जाएगा”;

(घ) क्रम सं 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
“33क	आर्ब-फ्लू गैस डीसल्फयुराईजेशन (एफजीडी) के साथ तापीय विद्युत संयंत्र	चिमनी की ऊंचाई/मीटर में सीमा	विद्युत उत्पादन क्षमता: 100 मेगावाट और अधिक एच= 6.902 ($\text{क्यू} \times 0.277$) ^{0.555} अथवा 100 मीटर न्यूनतम 100 मेगावाट से कम एच= 6.902 ($\text{क्यू} \times 0.277$) ^{0.555} अथवा 30 मीटर जो भी अधिक हो”; क्यू=सल्फर डाइआक्साइड की कि.ग्रा./उत्सर्जन दर* एच= मीटर में भौतिक स्टाक ऊंचाई।” *चिमनी से जुड़ी सभी यूनिटों का योग टिप्पणी : ये मानक कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू)]

डॉ. ए. सेथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना सा.का.नि. 568 (अ) दिनांक 18 जून, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2018

G.S.R. 593 (E).—Whereas, a draft notification, for Thermal Power Plants was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 3337(E), dated the 16th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 16th October, 2017;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-
 - (a) against serial number 5A, in column 4, for item III, the following item shall be substituted, namely:-
“III. Specific water consumption shall not exceed maximum of 3.0 m³/MWh for new plants installed after the 1st January, 2017 and these plants shall also achieve zero waste water discharge.”;
 - (b) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
“5B.	Thermal Power Plant (water consumption limit) using sea water	Water consumption	Items I to III in column 4 in serial number 5A above shall not be applicable to the Thermal Power Plants using sea water”;

(c) in serial number 25, the following Note shall be inserted, namely:—

“Note: All monitored values for SO₂, NOx and Particulate Matter shall be corrected to 6% Oxygen, on dry basis”;

(d) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4

“33A.	Thermal Power Plants with wet Flue Gas Desulphurization (FGD)	Stack Height/Limit in Meters	Power generation capacity: - 100 MW and above $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 100 m minimum - Less than 100 MW $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 30 m whichever is more”; Q = Emission rate of SO ₂ in kg/hr* H = Physical stack height in meter *total of the all Unit's connected to stack Note: These standards shall apply to coal / lignite based Thermal Power Plants.”.
-------	---	------------------------------	--

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R. 263(E), dated the 22nd March, 2018.

RAKESH
SUKUL

Digital signature by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.07.03 20:39:18
+05'30'



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222659
CG-DL-E-22102020-222659

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]
No. 540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 662(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,--

क्र. सं. 25 के सामने, “जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016 तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)”, शीर्ष के अधीन, नाइट्रोजन के आक्साइड (NOx) के संबंध में, “ 300 mg/Nm³”, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, स्तंभ 4 में, “450 mg/Nm³”, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 48 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -

against S. No. 25, under the heading “TPPs (units) installed after 1st January, 2003, upto 31st December, 2016”, in respect of Oxides of Nitrogen (NOx), for figure and letters “300 mg/Nm³” in column 4, the figure and letters “450 mg/Nm³” shall be substituted.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Joint Secretary

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 48(E), dated the 24th January, 2020.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226335
CG-DL-E-01042021-226335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1, के क्रम संख्यांक 25 में, “*टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर सीमाओं को पूरा करेंगी”, अक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“*(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से मिलकर बने कार्य बल का गठन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सारणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट तीन प्रवर्गों में सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप होने के लिए उनकी अवस्थिति के आधार पर तापीय विद्युत संयत्रों के प्रवर्गीकरण हेतु किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-1

क्र.सं.	प्रवर्ग	अवस्थिति/स्थान	अनुपालन के लिए समय सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रवर्ग क	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 1	31 दिसम्बर, 2022 तक	31 दिसम्बर, 2022 तक
2	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर प्राप्ति शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 2	31 दिसम्बर, 2023 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक
3	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसम्बर, 2024 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक

¹ भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार।

² सीपीसीबी द्वारा यथापरिभाषित।

(ii) सारणी-1 के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, उस स्थिति में जहां ऐसे संयंत्र उनके निवृत्त होने के आधार पर ढूँढ़ के लिए सीपीसीबी और सीईए को एक प्रतिज्ञान प्रस्तुत करते हैं, विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु ऐसे संयंत्रों से, उस स्थिति में जहां उनका प्रचालन प्रतिज्ञान में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, जनित विद्युत के प्रति यूनिट पर 0.20 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उद्धृतीत किया जाएगा;

(iii) निवृत्त नहीं होने वाले तापीय विद्युत संयंत्र से, सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर उद्धृतीत किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-2

समय-सीमा से आगे गैर अनुपालन प्रचालन	पर्यावरणीय प्रतिकर (रुपए प्रति यूनिट जनित विद्युत)		
	प्रवर्ग क	प्रवर्ग ख	प्रवर्ग ग
0-180 दिवस	0.10	0.07	0.05
181-365 दिवस	0.15	0.10	0.075
366 दिवस और अधिक	0.20	0.15	0.10"

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for letters, brackets and words “*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification”, the following shall be substituted, namely: -

“* (i) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board (CPCB) comprising of representative from Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Power, Central Electricity Authority (CEA) and CPCB to categorise thermal power plants in three categories as specified in the Table-I on the basis of their location to comply with the emission norms within the time limit as specified in column (4) of the Table-I, namely: -

Table-I

Sl. No.	Category	Location/area	Timelines for compliance	
			Non retiring units	Retiring units
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Category A	Within 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population ¹ .	Upto 31 st December 2022	Upto 31 st December 2022
2	Category B	Within 10 km radius of Critically Polluted Areas ² or Non-attainment cities ²	Upto 31 st December 2023	Upto 31 st December 2025
3	Category C	Other than those included in category A and B	Upto 31 st December 2024	Upto 31 st December 2025

¹ As per 2011 census of India.

² As defined by CPCB.

(ii) the thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (5) of Table-I shall not be required to meet the specified norms in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation at the rate of rupees **0.20** per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the Undertaking;

(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plant, after the date as specified in column (4) of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely:-

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)		
	Category A	Category B	Category C
0-180 days	0.10	0.07	0.05
181-365 days	0.15	0.10	0.075
366 days and beyond	0.20	0.15	0.10.”

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]
NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 662(E), dated the 19th October, 2020.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238614
CG-DL-E-05092022-238614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944

No. 603]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 के क्रम सं. 25 में, “*(i) सारणी 1” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

सारणी-1

क्रम सं.	प्रवर्ग	अवस्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (निवृत्त न होने वाली इकाईयां)		अनुपालन से छूट के लिए इकाईयों को निवृत्त करने की अंतिम तारीख	
			SO ₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO ₂ उत्सर्जन	SO ₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर	SO ₂ उत्सर्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रवर्ग क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	31 दिसंबर,	

		अधिक जनसंख्या वाले शहरों ¹ की दस किलोमीटर की परिधि के भीतर।	2022 तक	2024 तक	2022 तक	31 दिसंबर, 2027 तक
2.	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों ² की या गैर-प्राप्ति शहरों ² की दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर	31 दिसंबर, 2023 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	
3.	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसंबर, 2024 तक	31 दिसंबर, 2026 तक	31 दिसंबर, 2025 तक	

1 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा-परिभाषित।

3. “(ii)” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘(ii)(क) सारणी 1 के स्तंभ (6) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करने की दशा में SO₂ उत्सर्जन से भिन्न पैरामीटर के लिए विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबंध में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उद्ग्रहित किया जाएगा;

(ii)(घ) सारणी 1 के स्तंभ (7) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, ऐसे संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ऐसे संयंत्र द्वारा निवृत्त होने के आधार पर छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करने की दशा में SO₂ उत्सर्जनों से भिन्न विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं होगी:

परंतु ऐसे संयंत्रों पर सारणी 1 के स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख से उनके द्वारा वचनबंध में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, उनके प्रचालन की दशा में जनित विद्युत की प्रति इकाई पर 0.40 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उद्ग्रहित किया जाएगा;

4. “(iii)” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(iii) सारणी 1 के स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में यथा-विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् निवृत्त न होने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों पर सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, पर्यावरण प्रतिकर उद्ग्रहित किया जाएगा, अर्थात्:--

सारणी-2

समय-सीमा से आगे अननुपालन प्रचालन	पर्यावरण प्रतिकर (प्रति इकाई जनित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे आगे	0.40”

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 143(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for “* (i) Table 1” the following shall be substituted, namely: -

Table-I

Sl. No.	Category	Location/area	Timelines for compliance (Non-retiring units)		Last date for retirement of units for exemption from compliance	
			parameters other than SO ₂ emissions	SO ₂ emissions	parameters other than SO ₂ emissions	SO ₂ emissions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Category A	With 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population ¹ .	Up to 31 st December 2022	Up to 31 st December 2024	Up to 31 st December 2022	Up to 31 st December 2027
2	Category B	With 10 km radius of Critically Polluted Areas ² or Non-attainment cities ²	Up to 31 st December 2023	Up to 31 st December 2025	Up to 31 st December 2025	Up to 31 st December 2027
3	Category C	Other than those included in category A and B	Up to 31 st December 2024	Up to 31 st December 2026	Up to 31 st December 2025	

¹ As per 2011 census of India.

² as defined by CPCB.

3. For “* (ii)” the following shall be substituted, namely: -

‘(ii) (a) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (6) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for parameters other than SO₂ emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (4) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;

‘(ii) (b) The thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (7) of Table-I shall not be required to meet the specified norms for SO₂ emissions in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (5) of table –I, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking;’

4. For “* (iii)” the following shall be substituted, namely: -

“(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plants, after the date as specified in column (4) and (5) of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely: -

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)
0-180 days	0.20
181-365 days	0.30
366 days and beyond	0.40”

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022.